अनुसूची 21–फार्म सं. 113

संपत्ति अवधारण समाप्ति–पत्र 29/11/2019

प्रमाण–पत्र संख्या आवेदन सं.

श्री/श्रीमती Vidya Bhushan Prasad 2nd Soot. Neelu Prasad

.....

ने यह प्रार्थना आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निर्धारिति सम्बन्धकर्ता और उसकर्ता का सार्टिफिकेट प्रमाण–पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये कथन के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संबन्धकर्ता और आयकर्ता के बारे में यहाँ में और उससे सम्बद्ध अनुसूचियों में वर्ष 2004 से वर्ष Till date तक उपयोगी की गयी और ऐसी उपयोगी के बाद निम्न संबन्धकर्ता और आयकर्ता का पता चला,

..... जैसा है उसे: Jharkhand

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निर्धारण की तारीख	(ख) उपयोग का प्रकार और मूल्य	पार्टी का नाम		एसाइनमेंट की प्रतिलिपि में क्र० निर्देश		
				निर्धारक	इनवेस्टर	जिल्द	खंड	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza – Udaypur Bishunpur Thana – 31 Tauzi – 5343 Khata – 129 Plot – 87 Area – 8 Katha 20 dhur							

1. दस्तावेज के अनुसार दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा लाइन की चार और भुगतान की [illegible] दर्ज करें। प्रमाणों की उनके बारे में टिप्पणियां हों।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहारों और अभारों का पता नहीं चला है।

निम्न [illegible] ने तलाशी ली और प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): [signature]

(पदनाम): [illegible]

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): [signature]

(पदनाम): [illegible]

कार्यालय: Patna

दिनांक: 27.5.19

मुहर [illegible] का हस्ताक्षर 27.5.19

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरणी के अनुसार [illegible] गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को विवक्षित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-45 के अधीन जो बहियां (बहियों) और अनुक्रमणिकाएँ (इन्डेक्स) की प्रतिलिपियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें विभाग संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों को जारी करते समय रखते होंगे। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणिकाएँ उनके पास रखी जायेंगी।

(क) चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं ली है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलाशी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है, और चूंकि उसके चार दुहे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दुहे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक Patna

द्रव्य संख्या 2508

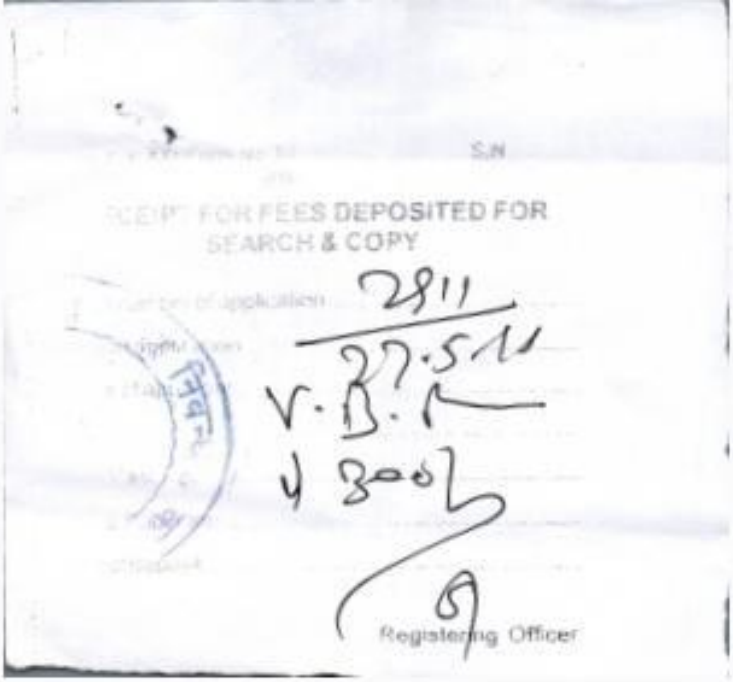
आवेदक श्री Vidya Bhushan Prasad s/o Late Jagat Narain Prasad

का सत्यापन प्रमाण-पत्र द्रव्य [illegible]

का उनकी पत्र संख्या [illegible] दिनांक [illegible] के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी

27-5-19


S.N
RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR
SEARCH & COPY
2911
27.5.11
V.B.R
4 300/-
Registering Officer